क्रम-संख्या—163

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०—4

लाइसेन्स सं० डब्ल्यू० पी०—41

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग 1—खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 14 अप्रैल, 1981

चैत्र 24, 1903 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग–1

संख्या 944/सत्रह–वि–1—9-81

लखनऊ, 14 अप्रैल, 1981

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1981 पर दिनांक 13 अप्रैल, 1981 ई0 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 1981 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1981

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 1981)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—यह अधिनियम इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1981 कहा जायगा। संक्षिप्त नाम

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 2 सन् 1921 की धारा 3 का संशोधन

2--इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 3 में, उपधारा (1) में, खण्ड (ग) में, जहां कहीं भी शब्द, "ग्यारह" आया हो, उसके स्थान पर शब्द "बारह" रख दिया जायगा।

धारा 16-ङङ का संशोधन

3--मूल अधिनियम की धारा 16-ङङ में, उप धारा (5) के पश्चात् और स्पष्टीकरण के पूर्व, निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, और 11 फरवरी, 1981 से बढ़ायी गयी समझी जायगी, अर्थात् :--

"(6) इस धारा की कोई बात भारत का संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्प संख्यकों द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी संस्था पर लागू नहीं होगी।"

तृतीय अनुसूची का संशोधन

4--मूल अधिनियम की तृतीय अनुसूची में, पैरा (3) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, शब्द "धर्म" निकाल दिया जायगा और 11 फरवरी, 1981 से निकाला गया समझा जायगा।

आज्ञा से,
गंगा बख्श सिंह,
सचिव।

No. 944(2)/XVII-V-1—9-81

Dated Lucknow, April 14, 1981

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Intermediate Shiksha (Sanshodhan) Adhiniyam, 1981 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 9 of 1981), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on April 13, 1981 :

THE INTERMEDIATE EDUCATION (AMENDMENT) ACT, 1981

[U.P. ACT NO. 9 OF 1981]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Intermediate Education Act, 1921

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-second Year of the Republic of India as follows :

Short title.

1. This Act may be called the Intermediate Education (Amendment) Act, 1981.

Amendment of section 3 of U.P Act II of 1921.

2. In section 3 of the Intermediate Education Act, 1921, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (1), in clause (*c*), *for* the word "eleven" wherever occurring, the word "twelve" shall be *substituted.*

Amendment of section 16-EE.

3. In section 16-EE of the principal Act, *after* sub-section (5) and before the Explanation, the following sub-section shall be inserted and be deemed to have been *inserted* from February 11, 1981, namely:—

"(6) Nothing in this section shall apply to an institution established and administered by a minority referred to in clause (1) of Article 30 of the Constitution of India."

Amendment of Third Schedule.

4. In the Third Schedule to the principal Act, in the proviso to paragraph (3), the word 'religion' shall be omitted and be deemed to have been *omitted* from February 11, 1981.

By order,
G. B. SINGH,
Sachiv.

पी० एस० यू० पी०--ए० पी० 9 सा० (विधा०)--4-4-81--(158)--1981--700 (मेक०)।